न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1163–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–12–2012 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल–1 तहसील रायसेन जिला रायसेन प्रकरण कमांक 03/अ–12/2012–13.

श्रीमती यशोदाबाई पत्नी बाबूलाल
निवासी वार्ड कमांक 17, घाटमपुरा, रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर रायसेन
2 मो0 गुफरान आत्मज फारूक
निवासी रायसेन वार्ड कमांक 17 तहसील व जिला रायसेन
.....अनावेदकगण

श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 23 दिसम्बर, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल–1 रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 मोहम्मद गुफरान द्वारा राजस्व निरीक्षक रायसेन के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम रायसेन स्थित

भूमि सर्वे कमांक 549 रकबा 19×50 वर्गफीट के सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–12/2012–13 दर्ज किया जाकर हल्का पटवारी को सीमाकंन करने हेतु निर्देश दिये गये । तत्पश्चात राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमाकंन किया जाकर दिनांक 15–12–2012 को सीमाकंन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के सीमाकंन प्रकरण में आवेदक हितबद्ध पक्षकार है, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमाकंन कार्यवाही में आवेदक को बिना सूचना दिये उसके पीठ पीछे सीमाकंन आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय से भी आवेदक के पक्ष में निर्णय हुआ है । तर्क में यह भी कहा गया कि बिना आवेदक को सूचना दिये राजस्व निरीक्षक द्वारा उसकी भूमि पर सीमा चिन्ह लगा दिये है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 2 द्वारा कय की जाकर अपना नाम दर्ज करा लिया गया है । तत्पश्चात जो सीमाकंन की कार्यवाही कराई गई है वह अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमाकंन कार्यवाही में आवेदिका यशोदाबाई सहित अन्य 4 को सीमाकंन दिनांक 15–12–2012 को किये जाने संबंधी सूचना पत्र जारी किया गया है, परन्तु उक्त सूचना पत्र की तामीली यशोदाबाई पर होना प्रकरण से परिलक्षित नहीं होता है । राजस्व निरीक्षक के प्रकरण में संलग्न पंचनामा से भी स्पष्ट है कि सीमाकंन के समय आवेदिका उपस्थित नहीं हुई है और न ही पंचनामें इस बात का कोई उल्लेख है कि उसे सीमाकंन दिनांक 15–12–2012 की सूचना थी ।

पंचनामें से यह भी स्पष्ट नहीं है कि सीमाकंन के समय कौन कौन पंच उपस्थित थे, केवल एक सामान्य उल्लेख है कि पंचगण की उपस्थिति में सीमाकंन किया गया । सीमाकंन पंचनामें में इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं है कि सीमाकंन के समय सीमावर्ती कृषक उपस्थित थे, जबकि सीमाकंन प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि सीमावर्ती कृषकों की उपस्थिति में मौके पर खुटिया लगाकर सरहदी सीमा बताई गई है । स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमाकंन की कार्यवाही एवं पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार को विधिवत हितबद्ध एवं सीमावर्ती कृषकों को सूचना दी जाकर सीमाकंन किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर